न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–475/17 ((RCMS No. 2017/00505) 18 आयुध अधिनियम 1959)

बनवारी लाल पुत्र रामसहाय जाति ब्राहमण निवासी महमदपुर थाना बालघाट जिला करौली हाल निवासी मकान नं0 ए–25, ईश्वर नगर सोसायटी उत्तम नगर मणी नगर अहमदावाद (गुजरात)

.........अपीलान्ट

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 13.03.2015

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट
2. श्री हरीओम सिंघल लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 28.02.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधरियों थाना बालघाट जिला करौली के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र कम सं0 40 पर दर्ज है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

Web Copy - Not Official

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। जिला मजिस्ट्रेट करौली ने दिनांक 29.12.2014 को जारी किये गये आदेश के चरण संख्या 2 में यह दर्ज किया था कि जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे है तथा चुनाव के दौरान आने की संभावना नही है उन पर यह आदेश लागू नही होगा। अपीलान्ट इस आदेश से पूर्व से गुजरात में पान का व्यवसाय कर रहा था और परिवार सहित अहमदाबाद में रह रहा था। उसने पंचायत चुनाव में कोई भी मतदान नही किया और न चुनाव के समय गांव में आया। थाना अधिकारी बृत अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलान्ट के परिवार सहित अहमदाबाद में रहने की पुष्टि की थी। अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र की अवधि दिनांक 31.12.2015 तक थी। अपीलान्ट ने आर्म्स एक्ट की शर्तों का कभी भी उलंघन नही किया। अपीलान्ट ने जानकारी होने पर अपने शस्त्र को दिनांक 23.12.2015 को थाना बालघाट में जमा करा दिया था। जिसकी रसीद अपीलान्ट को दी गयी थी। शस्त्र अभी तक थाना बालघाट में जमा है। पुलिस अधीक्षक करौली ने दिनांक 16.05.16 को अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अभिशंसा की थी परन्तु चाल चलन एवं आपराधिक रिकार्ड की जांच अहमदाबाद से कराये जाने की शर्त गलत लिखी थी। क्योंकि दिनांक 23.12.15 को अपीलान्ट ने शस्त्र अनुज्ञापत्र थाना बालधाट में जमा करा दिया था। उनका तर्क है कि स्थानीय अखवार अहमदाबाद में वितरित नही होने से जानकारी नही हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा अपीलान्ट को बिना सुने आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को दिनांक 01.01.16 से आगे की अवधि के लिये नवीनीकरण कर अपीलान्ट को दिलाये जाने के आदेश थाना बालघाट को दिये जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/पंआचु. 15/9356 दिनांक 29.12.14 से सभी अनुज्ञाधारियों को शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अपीलान्ट ने अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र थाने में जमा नही कराया। इसके बाद जिला पुलिस अधीनस्थ करौली ने पत्रांक 1583 दिनांक 12.02.15 से अपने हथियार जमा कराने की सूचना दी थी परन्तु सूचना देने के बाबजूद हथियार जमा नही कराने पर पुलिस अधीक्षक ने उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली को जारी किया। जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर सूचना के माध्यम से दिया है परन्तु अपीलान्ट ने उक्त सूचना पर शस्त्र जमा नही कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक

Web Copy - Not Official

भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधरियों थाना बालघाट जिला करौली के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र क्रम सं0 40 पर दर्ज है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। जिला मजिस्ट्रेट करौली के पत्रांक 9356 दिनांक 29.12.2014 में यह आदेश निम्न पर लागू नही होगा : के बिन्दु सं0 2 में यह उल्लेख है कि ''जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे है तथा चुनाव के दौरान आने की संभावना नही है, उन पर यह आदेश लागू नही होगा।'' पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट क्रमांक 2970 दिनांक 16.05.16 में उल्लेख किया है कि आवेदन परिवार सहित अहमदाबाद में रहता है। स्थानीय पुलिस को आवेदक के हथियार अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में कोई आपत्ती नही है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट परिवार सहित अहमदाबाद में रह रहा था। थाना अधिकारी बृत अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलान्ट के परिवार सहित अहमदाबाद में रहने की पुष्टि की थी। अपीलान्ट ने अपने शस्त्र को दिनांक 23.12.2015 को थाना बालघाट में जमा करा दिया था। जिसकी रसीद की फोटोप्रति अपीलान्ट ने अपील के साथ पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से 64 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निरस्त किये हैं। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने तथा पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्रमांक 1657 दिनांक 13.03.2015 अपीलान्ट के क्रमांक 40 अनुज्ञापत्र सं0 5/79 की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official